इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में वन विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.1	वन्य प्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	वनमण्डल अधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.2	वन्य प्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	7 कार्य दिवस	वनमण्डल अधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.3	वन्य प्राणियों से पशु-हानि राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमण्डल अधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान—					
	1. डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान के प्रकरण	वनमण्डलाधिकारी	45 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
	2. पृथक लाट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण	वनमण्डलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना	1. शासकीय काष्ठागार हेतु— काष्ठागार अधिकारी/ परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	उप वनमण्डलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमण्डलाधिकारी
		2. काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु— परिक्षेत्राधिकारी	10 कार्य दिवस	उप वनमण्डलाधिकारी	15 कार्य दिवस	उप वनमण्डलाधिकारी
		3. भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु— उप वनमण्डलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमण्डलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैंस,
प्रमुख सचिव

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.